

संख्या-06/एफ1-07/2026 श्र0सं0- 2123

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

प्रेषक,

राजीव रंजन,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 16/4/26

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के कार्यान्वयन हेतु सहायक अनुदान मद के रूप में प्रावधानित राशि क्रमशः सामान्य श्रेणी के लिए ₹ 4000.00 लाख (₹ चालीस करोड़), अनुसूचित जाति के लिए ₹ 2250.00 लाख (₹ बाईस करोड़ पचास लाख) एवं अनुसूचित जनजाति ₹ 200.00 लाख (₹ दो करोड़) अर्थात् कुल राशि ₹ 6450.00 लाख (₹ चौसठ करोड़ पचास लाख) मात्र की लागत पर व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजनान्तर्गत बिहार राज्य के निवासी एवं बिहार में काम करनेवाले 18 से 65 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के कामगारों एवं परिभाषित शिल्पकारों के लिए बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 की स्वीकृति विभागीय संकल्प संख्या-1157 दिनांक-16.03.2012 द्वारा प्रदान की गई है। योजना संबंधी अधिसूचना संख्या-1196 दिनांक-19.03.2012 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या-54 दिनांक-22.01.2024 निर्गत है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888/वि0 दिनांक-03.12.2024 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2026-27 में उक्त योजनान्तर्गत क्रमशः सामान्य श्रेणी के लिए ₹ 4000.00 लाख (₹ चालीस करोड़), अनुसूचित जाति के लिए ₹ 2250.00 लाख (₹ बाईस करोड़ पचास लाख) एवं अनुसूचित जनजाति ₹ 200.00 लाख (₹ दो करोड़) अर्थात् कुल राशि ₹ 6450.00 लाख (₹ चौसठ करोड़ पचास लाख) मात्र का बजट उपबंध निम्न प्रकार से स्वीकृत है-

(i) सामान्य श्रेणी के असंगठित मजदूरों एवं शिल्पकारों के लिए मुख्य शीर्ष-2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण-लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम- मांग संख्या-26-उप शीर्ष-0102-असंगठित मजदूरों एवं शिल्पकारों की सामाजिक सुरक्षा (विपत्र कोड- 26-2235022000102) के अंतर्गत :-

विषय शीर्ष	बजट उपबंध (₹)
31-सहायता अनुदान	
0102.31.04 सहायक अनुदान- वेतन	1,00,00,000
0102.31.06 सहायक अनुदान- गैर वेतन	39,00,00,000
योग-26-2235.02.200.0102-असंगठित मजदूरों एवं शिल्पकारों की सामाजिक सुरक्षा	40,00,00,000

(₹ चालीस करोड़) मात्र।

(ii) अनुसूचित जाति के असंगठित मजदूरों एवं शिल्पकारों के लिए- मुख्य शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- मांग संख्या-26-उप शीर्ष-0110-असंगठित मजदूरों एवं शिल्पकारों की सामाजिक सुरक्षा (विपत्र कोड 26-2235027890110) के अंतर्गत-

विषय शीर्ष	बजट उपबंध (₹)
31-सहायता अनुदान	
0110.31.06 सहायक अनुदान- गैर वेतन	22,50,00,000
योग-26-2235.02.789.0110-असंगठित मजदूरों एवं शिल्पकारों की सामाजिक सुरक्षा	22,50,00,000

(₹ बाईस करोड़ पचास लाख) मात्र ।

(iii) अनुसूचित जनजाति के असंगठित मजदूरों एवं शिल्पकारों के लिए- मुख्य शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना -मांग संख्या-26-उप शीर्ष-0124-असंगठित मजदूरों एवं शिल्पकारों की सामाजिक सुरक्षा (विपत्र कोड 26-2235027960124) के अंतर्गत :-


विषय शीर्ष	बजट उपबंध (₹)
31-सहायता अनुदान	
0124.31.06 सहायक अनुदान- गैर वेतन	2,00,00,000
योग-26-2235.02.796.0124-असंगठित मजदूरों एवं शिल्पकारों की सामाजिक सुरक्षा	2,00,00,000

(₹ दो करोड़) मात्र ।

अर्थात् (i)+(ii)+(iii) के तहत कुल राशि ₹ 6450.00 लाख (₹ चौसठ करोड़ पचास लाख)।

- यह चालू योजना है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2243 दिनांक-02.05.2025 द्वारा अवधि विस्तार एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।
- वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के तहत उपबंधित राशि के व्यय की स्वीकृति इस शर्त पर दी जाती है कि इस अनुदान के राशि की विमुक्ति/निकासी तभी की जायेगी जब पिछले वर्षों तक का उपयोगिता प्रमाण पत्र का सामंजन महालेखाकार, बिहार, पटना का कार्यालय से करा लिया जायेगा ।
- बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, जो कि विभाग की निबंधित संस्था है, के बैंक खाता संख्या-37062727316 एवं IFSC No-SBIN0018815 में CFMS Software के माध्यम से उपरोक्त राशि की ऑनलाईन निकासी करके समिति को एक मुश्त उपलब्ध कराई जाएगी। यह राशि समिति के खाते में Corpus Fund के रूप में रहेगी जिसमें से योजना के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक राशि का व्यय संकल्प सं०-1157 दिनांक-16.3.2012 एवं अधिसूचना सं०-1196 दिनांक-19.03.2012 में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा।


6. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी श्रमायुक्त के सचिव, पटना होंगे। इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।
7. बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति उपरोक्त राशि का व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र श्रमायुक्त, बिहार को उपलब्ध करायेगे।
8. इस राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि0(2), दिनांक-17.4.1998 एवं 8593/वि०(2) दिनांक-27.11.2007 एवं अद्यतन निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जाएगी।
9. संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
11. इस योजना की स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव पर सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

 (राजीव रंजन)
 संयुक्त सचिव।

ज्ञाप संख्या-06/एफ1-07/2026 श्र0सं0- 2123

पटना, दिनांक- 16/4/26

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग/कार्यकारी निदेशक, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना /सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/श्रमायुक्त के सचिव, पटना/प्रशाखा-02(सरकार पक्ष)/लेखा शाखा (श्रम पक्ष) एवं आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


 (राजीव रंजन)
 संयुक्त सचिव।